



प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत दो अभियुक्तों को 20 वर्ष कठोर

कारावास व अर्थदंड की सजा

दिनांक:-02.08.2022

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री घुले सुशील चन्द्रभान द्वारा न्यायालय में प्रचलित वादों में समस्त थाना प्रभारियों को सतत पैरवी हेतु निर्देशित किया गया है।

इस क्रम में मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत महिला संबंधी अपराधों में सतत पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक 02.08.2022 को माननीय न्यायालय में प्रचलित वादों में माननीय न्यायालय द्वारा विचारण पूर्ण कर थाना महमूदाबाद से सम्बन्धित मु०अ०सं० 157/18 धारा 376-D भा.द.वि बनाम 1.प्रदीप पुत्र रामआसरे 2.शिवराम पुत्र सीताराम निवासीगण ग्राम भरथर थाना महमूदाबाद सीतापुर में पुलिस द्वारा न्यायालय से निर्गत सम्मन को तामील कराकर गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आज दिनांक 02.08.2022 को विचारण पूर्ण कर मा० न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पी.ओ.सी.एस.ओ एक्ट) कोर्ट संख्या-14 सीतापुर द्वारा दोषसिद्ध दोनों अभियुक्तों 1.प्रदीप व 2.शिवराम उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 376-D भा.द.वि में **बीस वर्ष कठोर कारावास व प्रत्येक को 25,000/- रूपए अर्थदण्ड** की सजा सुनायी गयी।

